निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यारित

प्रकरण संख्या :–15 / 2022
दायरा दिनांक :–25.02.2022
निर्णय दिनांक :– 16.02.2023

उनवान

1. भरत पुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
2. बनवारीपुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
3. हरिशंकर पुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
4. गीताबाई पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां,
5. सरोज पुत्री श्री राधेश्याम पत्नी इन्द्रेश कुमार जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां हाल निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र श्री बजरंग लाल जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.02.2023

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकीएड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम वाके तुलसां तहसील बारां जिला बारां में खाता सं0 नया 272 पुराना 267 से खसरा नं0 1078 रकबा 0.10 हे0,खसरा नं0 1079 रकबा 0.16 हे0,खसरा नं0 1195 रकबा 0.28 हे0,खसरा नं0 1196 रकबा 0.09 हे0,खसरा नं0 1212 रकबा 0.23 हे0,खसरा नं0 1552/472 रकबा 0.07 हे0,खसरा नं0 472 रकबा 1.95 हे0,खसरा नं0 618 रकबा 1.29 हे0,खसरा नं0 674 रकबा 0.05 हे0,खसरा नं0 748 रकबा 0.10 हे0,खसरा नं0 750 रकबा 0.31 हे0 कुल किता कुल रकबा 4.72 हे0 स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजियात में से खसरा नं0 674 रकबा 0.05 हे0 विवादित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधि[illegible] गया है। मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी खसरा नं0 674 रकबा 0.05 [illegible] के जानवरों को बांधने के काम आता है। तथा वादीगण ने जानवरों के लिए चारा [illegible] के लिए के लिए [illegible] बना रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

(2)

उक्त विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर करते चले आ रहे है। तथा वर्तमान में भी उपयोग उपभोग कर रहे है।

वादीगण की विवादित आराजी के पश्चिमी ओर आम रास्ता खसरा नं0 715 है। तथा विवादित आराजी के पूर्वी ओर प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 673 स्थित है। प्रतिवादी जबरन ताकत के बल पर वादीगण की विवादित आराजी में होकर रास्ता बनाना चाहता है। जबकि प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 673 में जाने का रास्ता खसरा नं0 715 से 675 में होकर है। प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। कि वह वादीगण की विवादित आराजी में होकर आने जाने का रास्ता कायम करें। दिनांक 20.02.2022 को प्रतिवादी विवादित आराजी पर आया तथा वादीगण की विवादित आराजी में होकर जबरन रास्ता बनाने लगा तो वादीगण ने प्रतिवादी को रास्ता बनाने व कायम करने से मना किया तो प्रतिवादी गाली गलोच करने लगा तथा वादीगण को धमकी दी कि मैं तुम्हारे बाडे में होकर ही अपनी आराजी खसरा नं0 673 में आने–जाने का रास्ता कायम करके रहूगां तथा जो भी मुझे रोकेगा उसको जान से मार दूगां। वादीगण ने प्रतिवादी से काफी अनुनय विनय की। लेकिन प्रतिवादी ने धमकी दी है। कि आज नही तो कल मैं तुम्हारे विवादित आराजी में होकर रास्ता कायम करके ही रहूगां। जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद कारण दिनांक 20.02.2022 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण की विवादित आराजी खसरा नं0 674 में होकर जबरन रास्ता कायम करने की धमकी देने पर बमुकाम तुलसां तहसील बारां में पैदा हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किय गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम तुलस 2073–76 खाता सं0 272, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तुलसां पेश किया गया। साक्ष्य वादी में भर शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आरा वाके ग्राम तुलसा में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नं0 674 रकबा 0.05 हे0(बाडा) वा के जानवरों को बांधने के काम आता है। तथा वादी ने चारा रखने के लिए घर बना रखा उक्त बाडे. को वादी अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर कर उपयोग करते चले आ रहे विवादित बाड़े के पश्चिम में आम रास्ता खसरा नं0 715 है। तथा बाड़े के पूर्वी तरफ प्रतिव की आराजी है। प्रतिवादी अपनी ताकत के बल पर जबरन वादी की विवादित आराजी(बाडा) होकर रास्ता बनाना चाहता है। जबकि प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 673 में जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रास्ता खसरा नं0 715 से 675 में होकर है। प्रतिवादी को वादी की आराजी में जबरन रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें कि यह वादी के खाते की आराजी में होकर रास्ता कायम नहीं करें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 272 में वादीगण के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह सा।बित होता है। कि विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में खसरा नं0 715 रास्ता होना बताया तथा ख0नं0 675 प्रतिवादी के खातेदारी की होना बताया है। प्रतिवादी खं0नं0 673 मे जाने के लिये मुताबिक नक्शा ट्रेस के खं0नं0 715 से 675 मे होकर खं0नं0 673 में जा सकता है। प्रतिवादी, वादीगण के खातेदारी की आराजी मे होकर जबरन रास्ता कायम नही कर सकता है। प्रतिवादी को यदि रास्ता हेतु अपने खाते की भूमि नही होती तो वादीगण के खातेदारी की आराजी मे होकर रास्ता ले सकता था। प्रतिवादी द्वारा न्याया0 मे उप0 होकर अपने पक्ष के समर्थन मे जवाब दावा, दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है। प्रतिवादी को वादी के खातेदारी की आराजी मे होकर रास्ता कायम नही करने हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसा तहसील बारां के खसरा नं0 674 रकबा 0.05 हे0 मे होकर किसी प्रकार का आने जाने हेतु रास्ता कायम नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। वादीगण को अपने बाडे का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक करने दे। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 15/2022	अन्तर्गत 188, आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 16.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री धर्मेन्द्र सोलंकी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भरत पुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
2. बनवारीपुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
3. हरिशंकर पुत्र श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां, राज0
4. गीताबाई पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां,
5. सरोज पुत्री श्री राधेश्याम पत्नी इन्द्रेश कुमार जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां हाल निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

–**वादीगण**

बनाम

1. रघुवीर पुत्र श्री बजरंग लाल जाति बैरागी निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

–**प्रतिवादीगण**

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसा तहसील बारां के खसरा नं0 674 रकबा 0.05 हे0 मे होकर किसी प्रकार का आने जाने हेतु रास्ता कायम नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। वादीगण को अपने बाडे का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक करने दे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.02.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

...वाके तुलसां तहसील बांरा जिला बांरा मे ख़ाता

Scanned with CamScanner